



हिमाचल प्रदेश वन पारितंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना
जापान सरकार (JICA) द्वारा वित्त पोषित परियोजना

व्यवसाय योजना

आय उत्पन्न करने वाली गतिविधि-(केंचुआ खाद)

उजाला - स्वयं सहायता समूह-द्वारा निर्मित



एसएचजी/सीआईजी का नाम	::	उजाला
वीएफडीएस नाम	::	नैन तुंगा
ब्लॉक	::	रन्धाडा
वन परिक्षेत्र	::	मंडी
वन मंडल	::	मंडी

विषय-सूची

पृष्ठभूमि	3
1. एसएचजी/सीआईजी का विवरण	4
2. लाभार्थियों का विवरण:	5
3. गांव का भौगोलिक विवरण	5
4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का	6
5. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण	6
6. उत्पादन योजना का	7
7. विपणन / बिक्री का विवरण	7
8. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण	8
9. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	8
10. आर्थिक विवरण	9
11. आर्थिक विश्लेषण के अनुमान	12
12. निधि की आवश्यकता:	12
13. निधि के स्रोत:	12
14. बैंक ऋण चुकौती13
15. प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन	13
16. निगरानी तंत्र	13

सरल उत्पादन तकनीकों, पारिस्थितिक, आर्थिक और इससे जुड़े मानव स्वास्थ्य लाभों के कारण वर्मी कम्पोस्टिंग देश में एक मजबूत मुकाम हासिल कर रहा है। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन के तहत, विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में, उद्यमियों द्वारा सरकारी सहायता के तहत/तकनीकी मार्गदर्शन के साथ, बड़ी संख्या में वर्मिकंपोस्टिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं।

वर्मिकम्पोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो अपने स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मिकम्पोस्टिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

वर्मिकम्पोस्टिंग

केंचुए पालन/उपयोग के माध्यम से कम्पोस्ट का उत्पादन वर्मी कम्पोस्टिंग तकनीक कहलाता है। इस तकनीक के तहत, केंचुए बायोमास खाते हैं और इसे पचे हुए रूप में उत्सर्जित करते हैं जिसे वर्मिकम्पोस्टिंग या वर्मिकम्पोस्ट के रूप में जाना जाता है। यह छोटे और बड़े पैमाने के किसानों दोनों के लिए खाद बनाने के लिए सबसे सरल और लागत प्रभावी तरीकों में से एक है। वर्मिकम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि में स्थापित की जा सकती है जो किसी भी आर्थिक उपयोग के अधीन नहीं है बल्कि छायादार और पानी के ठहराव से मुक्त है। साइट को जल संसाधन के पास भी होना चाहिए

वर्मिकम्पोस्टिंग, जिसे "कचरे से सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन में प्रमुख इनपुट है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत करता है, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाता है और खेती की लागत को कम करता है।

पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मिकम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

1. SHG/CIG . का विवरण

एसएचजी/सीआईजी का नाम	::	उजाला महिला स्वयं सहायता समूह
वीएफडीएस	::	नैन तुंगा
वन परिक्षेत्र	::	मंडी
वन मंडल	::	मंडी
वार्ड/गांव	::	गनेहड
विकास खंड	::	सदर
जिला	::	मंडी
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	14- महिला
गठन की तिथि	::	08-01-2003
बैंक खाता संख्या	::	87121300043182
बैंक विवरण	::	ग्रामीण बैंक रन्धाडा
एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	रु . 100.00/- प्रति सदस्य
कुल बचत		रु . 157082/-
कुल अंतर-ऋण		40000/-
नकद ऋण सीमा		--
चुकौती स्थिति		बहुत अच्छी

2. लाभार्थियों का विवरण:

क्र मां क	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	श्रेणी	आय स्रोत	पता
1	बत्ती देवी	भागी रथ ठाकुर	49	जनरल	कृषि	खारसी
2	बबली देवी	प्रेम सिंह	40	जनरल	कृषि	खारसी
3	हंसा देवी	बेसर सिंह	43	जनरल	कृषि	खारसी
4	बिंद्रा देवी	बीरी सिंह	49	जनरल	कृषि	खारसी
5	विद्या देवी	देविंदर सिंह	47	जनरल	कृषि	खारसी
6	रीता देवी	चमन लाल	45	जनरल	कृषि	खारसी
7	शकुन्तला देवी	देवी रूप	56	जनरल	कृषि	खारसी
8	रेवती देवी	रघुवीर सिंह	48	जनरल	कृषि	खारसी
9	धर्मा देवी	नंद लाल	45	जनरल	कृषि	खारसी
10	कमला देवी	बलीभद्र सिंह	50	जनरल	कृषि	खारसी
11	कला देवी	अमर सिंह	68	जनरल	कृषि	खारसी
12	जयवंती	हेम राज	45	जनरल	कृषि	खारसी
13	पद्मा देवी	परल राम	49	जनरल	कृषि	खारसी
14	सोमा देवी	बेली राम	55	जनरल	कृषि	खारसी

3. गांव का भौगोलिक विवरण

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	16 किमी
3.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	2 किमी
3.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	::	15 किमी
3.4	मुख्य बाजार का नाम और दूरी		मंडी, 15 किमी
3.5	नाम मुख्य शहरों और दूरी की		मंडी, 15 किमी
3.6	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणित किया जाएगा	::	हि प्र. वन विभाग , मंडी

4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

4.1	उत्पाद का नाम	::	केंचुआ खाद
4.2	उत्पाद पहचान की विधि	::	यह गतिविधि पहले से ही कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा की जा रही है और समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय किया गया है
4.3	एसएचजी/सीआईजी/ सदस्य सहमति	::	हां (अनुलग्नक -1)

5. उत्पादन प्रक्रियाओं का

चरण	विवरण
चरण -1	प्रसंस्करण जिसमें घास फूस का संग्रह, और जैविक कचरे का भंडारण शामिल है।
चरण-2	जैविक कचरे का बीस दिनों के लिए पशुओं के गोबर के घोल के साथ सामग्री को ढेर करके पूर्व पाचन। यह प्रक्रिया आंशिक रूप से सामग्री को पचाती है और केंचुआ खपत के लिए उपयुक्त है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस के घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए नहीं करना चाहिए।
चरण-3	केंचुआ क्यारी तैयार करना। वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कचरे को डालने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी कीड़े को मिट्टी में जाने देगी और पानी देते समय, सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाते हैं।
चरण-4	वर्मी-कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह। पूरी तरह से कम्पोस्ट की गई सामग्री को अलग करने के लिए कम्पोस्ट की गई सामग्री को छान लें। आंशिक रूप से कम्पोस्ट की गई सामग्री को फिर से वर्मी कम्पोस्ट बेड में डाल दिया जाएगा।
चरण-5	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ने देने के लिए वर्मी-कम्पोस्ट को उचित स्थान पर संग्रहित करना।
चरण-6	10X4X2.5 का ईंटों का पका गड्ढा बनाया जाएगा और उसे पानी से बचाने के लिए छप्पर का प्रावधान होगा

6. उत्पादन योजना का विवरण

6.1	उत्पादन चक्र (दिनों में)	::	45 दिन (वर्ष में 3-4 चक्र)
6.2	प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति	::	1
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	घर और अपने खेतों से
6.4	संसाधन के अन्य स्रोत	::	खुला बाजार
6.5	कच्चा माल - आवश्यक मात्रा प्रति चक्र (किलो) प्रति सदस्य	::	1800 किलो प्रति चक्र
6.6	प्रति सदस्य प्रति चक्र (किलो) अपेक्षित उत्पादन	::	900 किलोग्राम प्रति चक्र

7. विपणन / बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाजार स्थान	::	स्थानीय बाजार खेत का उपयोग
7.2	दूरी	::	
7.3	मांग	::	दैनिक माग
7.2	बाजार के पहचान की प्रक्रिया		समूह के सदस्य अपनी उत्पादन क्षमता और बाजार में मांग के अनुसार खुदरा विक्रेता/थोक विक्रेता का चयन/सूचीबद्ध करेंगे। प्रारंभ में उत्पाद निकट बाजारों में बेचा जाएगा।
7.5	उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति		एसएचजी सदस्य भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्पों का पता लगाएंगे।
7.6	उत्पाद की ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद की ब्रांडिंग करके उत्पाद का विपणन किया जाएगा। बाद में इस गतिविधि को सामूहिक स्तर (क्लस्टर) पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
7.7	उत्पाद "नारा"		"पर्यावरण हितैषी"

8. स्नोट वलश्लेषण

❖ तलकत

- ⌚ गतलवलधल पहले से ही कुऑ एसएऑऑी सदसुऑों दुवलरल की ऑल रहल है
- ⌚ एसएऑऑी के प्रतुेक सदसुऑ के पलस प्रतुेक ऑर में 2 से 3 मवेशी हैं
- ⌚ उनके खेतों में आसलनी से उपलब्ध कऑऑल मलल
- ⌚ वृद्धल प्रकुरलऑल सरल है
- ⌚ उऑलत पैकलंग और परलवलहन में आसलन
- ⌚ परलवलर के अनुऑ सदसुऑ भी ललभलरुथलऑों के सलथ सहऑुऑ करेंगे
- ⌚ ठलकलऊ कुषमतल ऑुऑलदल है

❖ कडऑुऑरी

- ⌚ वलवृद्धल प्रकुरलऑल / उत्पाद पर तलपडलन, आरुदुरतल, नडुी कल प्रलभलव
- ⌚ तकनीकी ऑलनकलरी कल अलभलव

❖ अवसर

- ⌚ ऑैवलक और प्रलकुरतलक खेती के बलरे में कलसलनों के बीच ऑलगरुकतल के कलरलण वरुडुी-कडुडुुऑुऑ की बढुतुी डलंग
- ⌚ अपने सुवलऑ के खेत में वरुडुी-कडुडुुऑुऑ कल उपऑुऑ मलठुी के सुवलसुथुु ऑु सुधलरने और बढुलने और गुणवतुतल ऑु लडुडे सडुड तलक बनलएगल और उपऑु ऑु डेहतर कीडत करेगल ।

❖ खतरे

- ⌚ डुुसडुड में अतुऑडलक बदललव के कलरलण उत्पादन ऑकुर के ठुुऑने की संलभलवनल
- ⌚ प्रतलसुडरुधुी डलऑलर
- ⌚ प्रशलकुषण / कुषमतल वृद्धल और कुुशल में डलगीदलरी के प्रतल ललभलरुथलऑों के बीच प्रतलडुद्धतल

9. सदसुऑों के डुीऑ डुरडुंधन कल वलवरण

- ☒ उत्पादन - कऑऑे मलल की खरीद सहलत वुऑुतुलगत सदसुऑों दुवलरल इसकल धुऑन रखल ऑलएगल
- ☒ गुणवतुतल आशुवलसन - सलडुुुहलक
- ☒ सऑलई और डैकेऑलंग - सलडुुुहलक
- ☒ वलडुणन - सलडुुुहलक
- ☒ इकलई - डुुलुऑलंकन

10. आर्थिक विवरण

(राशि वास्तविक रु . में)

S. No	Particulars	Units	Quantity / Nos.	Cost (Rs.)	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
ए।	पूंजी लागत								
ए.1	गड्डे और शेड का वृद्धि								
1	वृद्धि के साथ-साथ श्रम लागत (गड्डे का आकार आंतरिक 10ftX4ftX2ft का होगा)	Per member	14	6000	84000	0	0	0	0
2	कवर शेड का वृद्धि	Per member	14	4000	56000				
	कुल (ए.1)				140000	0	0	0	0
.2	उपकरण								
2	उपकरण, उपकरण, भारत्तोलन आदि।	Per member	14	2000	28000	0	0	0	0
	कुल (ए.2)				28000	0	0	0	0
	कुल पूंजीगत लागत (ए.1+ए.2)				168000	0	0	0	0
बी	आवर्ती लागत								
5	केंचुआ बीज	Per Kg	14	500	7000	0	0	0	0

6	गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत	Tons	75	900	67500	70875	74419	78140	82047
7	श्रम लागत	Per ton	38	700	26250	27563	28941	30388	31907
8	पैकिंग सामग्री	No.	5000	2	10000	10500	11025	11576	12155
9	अन्य लागत	Per ton	38	150	5700	5985	6284	6598	6928
सी	अन्य शुल्क								
10	बीमा	L/S			0	0	0	0	0
11	ऋण पर ब्याज	Per annum		2 per cent	3000	3000	3000	3000	3000
	कुल आवर्ती लागत				119450	117923	123669	129702	136037
	कुल लागत = पूंजी और आवर्ती लागत				287450	117923	123669	129702	136037
डी	वर्मी कम्पोस्टिंग से आय								
12	वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री	Ton	38	6000	228000	239400	251370	263939	277135
13	केंचुआ की बिक्री					7500	15000	15000	15000
13	कुल राजस्व				228000	246900	266370	278939	292135
13	शुद्ध लाभ (सी - बी)				108550	128977.5	142701.4	149236	156098

नोट - चूंकि एसएचजी सदस्य श्रम कार्य आदि जैसी कुछ गतिविधियाँ करेंगे और उनकी भूमि पर वर्मी कम्पोस्ट पिट स्थापित किया जाएगा, इसलिए, आवर्ती लागत (भूमि का पट्टा, श्रम लागत, अन्य विविध व्यय) को कुल आवर्ती लागत से घटाया जा सकता है।

आर्थिक विश्लेषण

क्रमांक	विवरण	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	
1	पूँजी लागत	168000	0	0	0	0	
2	आवर्ती लागत	119450	124800	130890	137285	143999	
3	कुल लागत	287450	124800	130890	137285	143999	824423
4	कुल लाभ	240000	259500	279600	292830	306722	1378652
5	शुद्ध लाभ	-47450	134700	148710	155546	162723	554228
6	लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	824423					
7	लाभ का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	1378652					
8	लाभ लागत अनुपात	1.67					

11. आर्थिक विश्लेषण के परिणाम

- प्रत्येक सदस्य के लिए गड्डे के आकार की योजना 10X4X2 फीट रखी गई है।
- वर्मी कम्पोस्ट की उत्पादन लागत रु. 3.3 प्रति किलोग्राम

- वर्मी-कम्पोस्ट की बिक्री रु. 6 प्रति किग्रा (काम से काम मूल्य पर)
- शुद्ध लाभ रु. 2.7 प्रति किलोग्राम
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 2.7 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में एसएचजी के सभी 14 सदस्यों द्वारा 38 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाएगा।
- केंचुआ की रु 500 प्रति किलोग्राम कीमत रखी गई है
- दूसरे वर्ष के दौरान केंचुए बिक्री के लिए उपलब्ध हों जाएंगे (क्योंकि यह वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कई गुना बढ़ जाएंगे)
- वर्मी-कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक आईजीए है और इसे एसएचजी सदस्यों द्वारा लिया जा सकता है।

12. फंड की आवश्यकता:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना का समर्थन	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	168000	126000	42000
2	कुल आवर्ती लागत	119450	0	119450
3	प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन	50000	50000	0
	कुल =	287450		

ध्यान दें-

- पूंजीगत लागत- 50 %पूंजीगत लागत परियोजना के द्वारा वहन किया जाएगा (75% अनुसूचित जाती तथा महिलाओं के लिए)
- आवर्ती लागत - एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाना।

- प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन - परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

13. फंड के स्रोत:

परियोजना का समर्थन	<p>50 %पूंजीगत लागत परियोजना के द्वारा वहन किया जाएगा (75% अनुसूचित जाती तथा महिलाओं के लिए) (आकार 10ftX4ftX2ft का होगा)</p> <p>एसएचजी बैंक खाते में परिक्रामी के रूप में 1 लाख रुपये जमा किए जाएंगे (बैंक ऋण लेने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए)</p> <p>प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन लागत।</p> <p>यदि एसएचजी बैंक से ऋण लेता है तो डीएमयू द्वारा 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन साल के लिए होगी। एसएचजी को मूल राशि की किशतों का भुगतान नियमित आधार पर करना होगा।</p>	गोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा पिट और शेड/पिट और शेड के वृद्धि के लिए सामग्री की खरीद की जाएगी।
एसएचजी योगदान	<ul style="list-style-type: none"> • पूंजीगत लागत का 25% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। • एसएचजी द्वारा वहन की जाने वाली आवर्ती लागत 	

14. बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और चुकौती रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूलधन का बैंकों को साल में एक बार पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।

- सावधि ऋणों में, चुकौती बैंकों में चुकौती अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए।
- परियोजना सहायता - डीएमयू द्वारा 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन साल के लिए होगी। SHG/CIG को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा

15. प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि /कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- ➔ परियोजना अभिविन्यास समूह का गठन/पुनर्गठन
- ➔ समूह अवधारणा और प्रबंधन
- ➔ आईजीए (सामान्य) का परिचय
- ➔ विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- ➔ बैंक क्रेडिट लिंकेज और उद्यम विकास
- ➔ एसएचजी/सीआईजी का एक्सपोजर दौरा - राज्य के भीतर और राज्य के बाहर

16. निगरानी तंत्र

- ➔ वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- ➔ एसएचजी को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

अनुलग्नक 1

अनुलग्नक

सहमति पत्र

हम उजाला स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश वानिकी जायका परियोजना (हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना) के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी चुनी हुई आजीविका सुधार गतिविधि केंचुआ खाद को ग्राम वन विकास समिति नैण तुंगा के साथ समन्वय में सक्रिय भागीदारी के साथ करने में अपनी सहमति व्यक्त की है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं।

क्र. स.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	समुदाय	हस्ताक्षर
1	बती देवी	श्री. भागीरथ ठाकुर	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	प्रधान	सामान्य	Batti Devi
2	बबली देवी	श्री. प्रेम सिंह	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सचिव	सामान्य	Babli Devi
3	हंसा देवी	श्री. बेसर सिंह	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सचिव	सामान्य	Hansa Devi
4	बिंद्रा देवी	श्री. बीरी सिंह	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सचिव	सामान्य	Bindra Devi
5	विद्या देवी	श्री. देवेन्द्र सिंह	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सदस्य	सामान्य	Vidya Devi
6	रीता देवी	श्री. चमन लाल	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सदस्य	सामान्य	Rita Devi
7	शकुंतला देवी	श्री. देवी रूप	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सदस्य	सामान्य	Shakuntala Devi
8	रेवती देवी	श्री. रघुवीर सिंह	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सदस्य	सामान्य	Revti Devi
9	धर्मा वती	श्री. नन्द लाल	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सदस्य	सामान्य	Dharma Devi
10	कमला देवी	श्री. बलिभद्र सिंह	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सदस्य	सामान्य	Kamla Devi
11	कला देवी	श्री. अमर सिंह	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सदस्य	सामान्य	Kala Devi
12	जैवती	श्री. हेम राज	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सदस्य	सामान्य	Jaiwanti
13	पदमा देवी	श्री. पलस राम	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सदस्य	सामान्य	Padmaji Devi
14	सोमा देवी	श्री. बेली राम	गाँव गनेहड़ तहसील सदर जिला मंडी हि० प्र०	सदस्य	सामान्य	Soma Devi

Batti Devi

प्रधान

उजाला स्वयं सहायता समूह, मिरभ
ए. सदर जिला मंडी (हि. प्र.)

Hansa Devi

सचिव

अनुलग्नक 2- समूह के सदस्यों की तस्वीरें



117

अनुलग्नक- IV :: रिवॉल्विंग फंड की मांग के लिए प्रारूप
 आजीविका सुधार के कार्यों का समर्थन - परिक्रामी निधि (Revolving fund)
 (तीन प्रतियों में तैयार होगा है)

गाँव का नाम :: मुनिहड़
 VFDS/ BMC का नाम :: नैण कुगा
 कार्यकारी समिति की बैठक की तारीख :: 17-7-2021
 ब्लॉक ::

कार्यकारी समिति सदस्यों की संख्या	::	10
प्रतिभागियों की संख्या	::	15

कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त की कॉपी विशिष्ट स्व-सहाय है।

हमारे गाँव की CD&LI योजना के अनुसार, गाँव, VFDS/ BMC-उपसमिति के, उपायुक्त अधिकारियों द्वारा विशिष्ट अनुमोदित उनके अनुमोदन पत्र दिनांक 17-7-21 को ऑफिस प्रेरक/ कंड फिलिबिटर और FTU सहायक के परामर्श से, गाँव/ VFDS/ BMC-उपसमिति की कार्यकारी समिति CD&LI फंड की आवश्यकता से संबंधित मामला - सामुदायिक-विकास प्रतिविधियों के पूरक - Revolving fund for IGA पर चर्चा की गई है और बैठक ने विचार-विमर्श किया गया है।

विचार-विमर्श और चर्चा के बाद, कार्यकारी समिति ने सहमति व्यक्त की है और सहमति व्यक्त की है और पूरे SHG को उपलब्ध कराने के लिए परियोजना से परिक्रामी निधि (Revolving Fund) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है ताकि वे स्थायी आजीविका के माध्यम से SHG सदस्य अपने सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

क्रमांक	समूह का नाम	आजीविका का नाम	आजीविका करने वाले सदस्यों की संख्या	फंड की आवश्यकता (₹.)	परियोजना से सहायता (₹.)	बैंक से सहायता (₹.)
1	उजाला	कैसुआ	14	287450	126000	
2		शक		प्रशिक्षण/ Revolving fund 100000	50000	
				Total = 276000		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और हस्ताक्षर

① Geela Devi	① Khem Singh
② अमरा देवी	② नारायण
③ Anjana Devi	③ Anjana Devi
④ नारा देवी	④ Batti Devi
⑤ Seta Devi	⑤ धर्म देवी
⑥ Batti Devi	⑥ Harsh Devi

FTU के माध्यम से DMU को प्रस्तुत किया गया

श्री राजेश ठाकुर R/o सुनीता कुमारी
एफटीयू अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर एफटीयू समन्वयक का नाम और हस्ताक्षर

अनुमोदित एवं स्वीकृत

DMU-Cum-D.P.O.
Mandi (H.P.)

DMU अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

